

प्रेषक,

आर मीनाक्षी सुन्दरम,
समिति,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबंधक,
सहकारी समितियों उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग:-1

देहरादून: दिनांक / ० अक्टूबर, 2020

विषय— सहकारिता विभाग के अन्तर्गत “मोटर साईकिल टैक्सी योजना” के संचालन हेतु दिशा
निर्देश (Guideline) के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—318/XIV-1/20-6(2)/2020 दिनांक 08
जुलाई, 2020 द्वारा “मोटर साईकिल टैक्सी योजनान्तर्गत” सहकारिता विभाग के अधीन
रोजगार सृजन हेतु “मोटर साईकिल टैक्सी योजना” संचालित किये जाने का निर्णय लिये
जाने के फलस्वरूप राज्य के प्रमुख पर्यटक स्थलों में पर्यटकों/यात्रियों को एक स्थान से
दूसरे स्थान पर लाने व छोड़ने के लिए उल्लिखित योजना के संचालनार्थ एतदद्वारा
निम्नवत् दिशा निर्देश (Guideline) निर्गत किये जाते हैं।

1. लाभार्थी एवं पात्रता

1.1 आवेदक उत्तराखण्ड का रथाई निवासी हो तथा उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक
तथा 55 वर्ष से कम हो।


1.2 आवेदक के पास मोटर साईकिल टैक्सी चलाने हेतु परिवहन विभाग द्वारा वैद्य
लाईसेन्स हो।

1.3 आवेदक किसी वित्तीय संस्था/सहकारी संस्था का बकायेदार न हो।

1.4 आवेदक का न्यूनतम सिविल (क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी) स्कोर 700 से कम न हो।

2. वित्तपोषण के लिए पात्र वाहन

2.1 योजना में मात्र नये स्कूटर अथवा मोटर साईकिल जो उत्तराखण्ड परिवहन
विभाग में टैक्सी के रूप में रजिस्टर्ड हो तथा टैक्सी के रूप में चलाये जाने की
अनुमति प्राप्त हो।



वर्षा उम्मीद
संख्या प्राप्ति
प्रतिक्रिया कर्तव्य
विवरण प्रक्रिया

3. ऋण की अधिकतम सीमा एवं मार्जिन सनी

3.1 गोटर साईकिल टैक्सी ऋण नये वाहन के लिये अनुमन्य होगा तथा वाहन की कीमत में पंजीकरण व बीमा शुल्क भी सम्मिलित होगा।

3.2 मोटर साईकिल टैक्सी के क्रय मूल्य के अधिकतम 75 प्रतिशत अथवा ₹ 1.25 लाख जो भी कम हो तक ऋण स्वीकृत होगा।

4. ऋण की सुरक्षा

4.1 ऋण की सुरक्षा के लिए ऋणी द्वारा 02 व्यक्तिगत जमानतें देनी होगी। व्यक्तिगत जमानत ऐसे व्यक्तियों की रवीकार होगी जो बैंक शाखा कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत स्थाई रूप से निवास करता हो तथा उनकी पर्याप्त अचल सम्पत्ति हो एवं बैंक के सम्मानित खातेदार हों।

4.2 ऋण से क्रय किये जाने वाले मोटर साईकिल टैक्सी वाहन को उत्तर प्रदेश हीकल अधिनियम, 1936 सहपठित पुर्नगढ़न अधिनियम, 2000 (संशोधन उत्तरांचल हीकल अधिनियम) के अन्तर्गत लाभार्थी द्वारा पंजीकृत करायें जायेंगे और पंजीयन प्रमाण पत्र पर सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा बैंक का प्रथम प्रभार अंकित कराया जायेगा।

4.3 वाहन को बैंक के पक्ष में दृष्टिबन्धक कराया जायेगा।

4.4 ऋणी से मासिक वसूली हेतु पोस्टडेटेड चैक लिये जायेंगे।

4.5 मोटर साईकिल टैक्सी योजना के अन्तर्गत क्रय किये गये वाहन एक ही रंग-रूप के होंगे तथा उनका परिचालन मात्र उत्तराखण्ड राज्य में ही सीमित होगा।

5. क्रय किये जाने वाले वाहन का बीमा

5.1 ऋण से क्रय किये जाने वाले वाहन का कॉम्प्रीहेन्सिव बीमा समर्त्त जोखिमों को सम्मिलित करते हुए बैंकर्स क्लॉज के अन्तर्गत प्रथम बैंक तथा द्वितीय उधारकर्ता के संयुक्त नाम से होगा। बीमा पर होने वाले समस्त व्यय ऋणी द्वारा वहन किये जायेंगे। निर्धारित तिथि से पूर्व बीमा का नवीनीकरण ऋणी द्वारा कराया जायेगा। यदि ऋणी द्वारा निर्धारित तिथि को बीमा का नवीनीकरण कराकर बैंक को सूचित नहीं किया जाता है तो बैंक द्वारा वाहन का बीमा कराया जायेगा एवं व्यय की गई समस्त धनराशि ऋणी के ऋण खाते को डेबिट करके समायोजित की जायेगी।

6. ऋण की अवधि एवं ऋण की वापसी

6.1 ऋण की अधिकतम अवधि 03 वर्ष होगी। ऋण की वसूली ऋण वितरित करने की तिथि से 01 माह के बाद से प्रतिमाह 35 समान मासिक किस्तों में की जायेगी।

- 7.1 मोटर साईकिल टैक्सी वाहन क्रण पर व्याज दर भारतीय रिजवं बैंक / नावाड़ / निबन्धक / बैंक मुख्यालय के अधीन परिवर्तनीय होगी जो वर्तमान में 10 प्रतिशत वार्षिक होगी। व्याज की गणना भौमिक प्राडक्ट के आधार पर भौमिक गृहाधारी द्वारा दशा में बैंक द्वारा क्रण से 02 प्रतिशत की दर से पनल व्याज लिया जायेगा। पैनल व्याज केवल उसी वकाया राशि पर लगाया जायेगा जितनी धनराशि पैनल में रही है।
- 7.2 शासनादेश के अनुसार ऋणियों के खातों में लगने वाले प्रथम 02 वर्ष के व्याज की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित बैंकों को निबन्धक के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।
- 7.3 शासनादेश के क्रम में जिला सहकारी बैंक भौमिक आधार पर अपनी शाखाओं से क्रणीवार व्याज धनराशि की गांग की संकलित कर राज्य सहकारी बैंक एवं निबन्धक कार्यालय को प्रेषित करेंगे। तत्पश्चात राज्य सरकार से व्याज अनुदान प्राप्त कर ऋणियों के खाते में व्याज अनुदान जमा किया जायेगा।
- 7.4 क्रण / किस्त वकाया होने अथवा मोटर साईकिल टैक्सी वाहन का उपयोग अन्य नियम प्रणाली में किये जाने की दशा में आवेदक को व्याज अनुदान देय नहीं होगा।

8. क्रण वित्तरण की प्रक्रिया

आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर क्रण आवेदन पत्र पर्यटन विभाग, उद्योग विभाग अथवा परिवहन विभाग के माध्यम से बैंक मुख्यालय को प्रेषित करना होगा। सम्बन्धित जनपद में आवेदन पत्रों की जांच उपरान्त आवेदन पत्रों को जनपद स्तरीय कमेटी के समुख चयन के लिए प्रस्तुत करना होगा। लाभार्थियों का चयन जनपद स्तरीय नियम कमेटी द्वारा किया जायेगा:-

1	जिलाधिकारी / मुख्य विकारा अधिकारी	अध्यक्ष
2	जनपद स्तरीय परिवहन विभाग का अधिकारी	सदस्य
3	सम्बन्धित जनपद का पर्यटन अधिकारी	सदस्य
4	महाप्रबन्धक, उद्योग	सदस्य
5	सचिव / महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि।	सदस्य / संयोजक
6	जिला सहायक निबन्धक	सदस्य

2. उक्त कमेटी द्वारा चयनित आवेदकों के आवेदन पत्र जिला सहकारी बैंक प्रधान कार्यालय के माध्यम से संबंधित शाखाओं को प्रेषित किये जायेंगे। सम्बन्धित शाखाएं आवेदकों से 15 दिवस में बैंकिंग सम्बन्धित निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण कराते हुए क्रण

रहोंगे तो पत्र निर्गत करेंगे। उवत योजनान्तर्गत स्वीकृत क्रृण की धनराशि सीधे उस रास्था फसे को प्रेषित की जायेगी, जिससे मोटर साइकिल वाहन क्य किया जायेगा।

3 उवतानुसार सहकारी बैंकों द्वारा शासनादेश के क्रम मे जिला सहकारी बैंक चमासेक आधार पर अपनी शाखाओं से लाभार्थिवार ब्याज धनराशि की मांग संकलित कर राज्य सहकारी बैंक एवं निबन्धक कार्यालय को प्रेषित करेंगे। तत्पश्चात राज्य सरकार से ब्याज अनुदान प्राप्त कर लाभार्थी के खाते में ब्याज अनुदान जमा किया जायेगा।

4 सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-205/एस0टी0ए0/10-75(बी) / 2020 दिनांक 14 अगस्त, 2020 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मोटर साइकिल टैक्सी (टैक्सी कैब) योजना के संचालन हेतु उदार नीति से परमिट जारी करने की कार्यवाही परिवहन विभाग द्वारा की जायेगी।

उवतानुसार उल्लिखित योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(आमनेशी सुन्दरम्)
सचिव।

संख्या— (1)/XIV-1/2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालंखाकार, उत्तराखण्ड कौलागढ, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, परिवहन/वित्त/पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त गढवाल/कुमांऊ, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
6. प्रभारी एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।